

राजस्थान-सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 03 / यादभेर / 1958-59

यह प्रमाणित किया जाता है कि लोक कल्याण

संस्थान, पनावडा जिला यादभेर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय मोहर से आज दिनांक 29 माह जून मन् एक हजार नी सी आठानेवा को यादभेर में दिया गया।



((पुनर्निधि दस्तावे))

रजिस्ट्रार जनरल, जयपुर

